बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

नगर निकाय, पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार एवं आयोजना क्षेत्र प्राधिकार क्षेत्रों में बने बहुमंजिले/विशेष भवन में अग्नि सुरक्षा से संबंधित बिहार भवन उपविधि 2014 एवं बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम 2014 के प्रावधानों को लागू करने के संबंध में

आवश्यक सूचनाः-

नगर निकाय, पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार एवं आयोजना क्षेत्र प्राधिकार क्षेत्रों के अंतर्गत बिहार भवन उपविधि, 2014 तथा बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 के प्रावधानों के आलोक में बहुमंजिले/विशेष भवनों में अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 15 मीटर या इससे अधिक ऊँचाई वाले अथवा 500 वर्ग मीटर से अधिक के आच्छादित जमीनी क्षेत्रफल वाले बहुमंजिले/विशेष भवनों यथा शैक्षणिक संस्थानों, कोचिंग संस्थानों, नर्सिंग होम, अस्पताल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक भवनों अथवा ऐसे व्यवहार वाले मिश्रित उपयोग वाले भवनों/परिसरों आदि में अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था की जानी है।

इसके अंतगर्त भवन परिसर में फॉयर एक्सटींग्यूसर, हौज रील, डाउन कमर सिस्टम, फायर एलार्म सिस्टम, ऑटोमेटिक डिटेक्शन एवं एलार्म सिस्टम, स्प्रींक्लर सिस्टम, अंडर ग्राउंड वाटर स्टैटिक टैंक, ओभर हेड वाटर टैंक, यार्ड हाईड्रेन्ट, स्मोक डिटेक्शन सिस्टम, फायर डैम्पर की व्यवस्था एवं इससे संबंधित अन्य प्रावधान स्थल पर प्रतिष्ठापित किया जाना है। भवन/परिसर में अग्नि सुरक्षा से सम्बन्धित व्यवस्था नहीं रहने एवं इसके क्रियाशील नहीं रहने पर बिहार भवन उपविधि 23 के तहत भवन को असुरक्षित घोषित करने, भवन अथवा परिसर को सील करने तथा बिहार अग्निशमन अधिनियम, 2014 के अध्याय–VI के उपबंधों के उल्लंघन पर छः माह की कारावास/पचास हजार रूपये तक जुर्माना तथा अपराध जारी रहने पर प्रतिदिन तीन हजार रूपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

एतद् द्वारा सभी संबंधितों/भवन मालिकों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त निदेश का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में संबंधित संस्थाओं द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग,